कार्यालय कलेक्टर, जिला–गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्रमांक/508/कले./वाचक/2021 गरियाबंद, दिनांक 30.01.2021

प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) के पत्र क्रमांक/भानेप्रो–II/वनभूमि/एफआरए–अनापत्ति/2019–20/36 रायपुर, दिनांक 27.02.2020 द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला गरियाबंद के मैनपुर ब्लाक अंतर्गत उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्रांतर्गत शामिल ग्राम पंचायतो को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–आफ–वे में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि का निरंक तथा कुल वनभूमि रकबा 7.683 हेक्टेयर का अनापति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

तदानुक्रम में उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के पत्र क्रमांक/माचि/जी/151 गरियाबंद, दिनांक 13.01.2021 के अनुसार आप्टिकल फायबर केबल लाईन उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व से जाने के कारण एवं वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिये जाने की स्थिति में जिला कार्यालय गरियाबंद से प्राप्त सूची व भारत नेट द्वारा प्रस्तुत की गई परिक्षेत्रवार सूची में दर्शाये गये कक्ष क्रमांक के अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिसर रक्षी द्वारा मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत सत्यापन प्रमाण पत्र अनुसार निम्न बिंदुओं में वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किया जाना पाया गया है:–

01– परिक्षेत्र तौरेंगा (बफर) अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1144 ग्राम/बीट गरहाडीह में वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् हितग्राही हरकराम वल्द नायक राम गोड़ को रकबा 0.016 हेक्टेयर भूमि में।

02– परिक्षेत्र दक्षिण, उदंती अंतर्गत कक्ष क्रमांक 38 ग्राम/बीट नागेश में वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हितग्राही बलराम को रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि में।

03– परिक्षेत्र दक्षिण, उदंती अंतर्गत कक्ष क्रमांक 39 ग्राम करलाझर बीट नागेश में वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हितग्राही मेहत्तर को रकबा 1.33 हेक्टेयर भूमि में।

उपरोक्त बिंदु क्रमांक 01, 02, 03 के व्यक्तियों द्वारा आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हुये उक्त कार्य करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। इसलिए "भारतनेट प्रोजेक्ट" के सफल क्रियान्वयन हेतु मार्ग समानांतर प्रस्तावित आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आनलाईन पंजीयन कराने हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने में आपत्ति नही होना प्रतिवेदित किया गया है।

तद्नुसार आवेदित विभाग/संस्था द्वारा आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित कुल वन भूमि 7.683 हेक्टेयर के उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्रांतर्गत शामिल होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 आकृष्ट होता है तथा संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार तहसील मैनपुर आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित है। इसलिए यदि वन विभाग द्वारा वर्णित भूमि के प्रत्यावर्तन/व्यपवर्तन हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है तथा आवेदित विभाग/संस्था द्वारा आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वर्णित/प्रस्तावित ग्रामों में स्थित धार्मिक/सामाजिक विन्यास तथा किसी भी शासकीय/निजी परिसंपत्तियों को प्रभावित नही किया जाता है, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नही है। उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित कार्य एजेंसी द्वारा निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:–

01– निर्धारित व्यपवर्तित स्थल पर ही खुदाई की जावे।

02– खुदाई किये गये स्थलों को नियमानुसार समतल कर लिया जावे।

03– अन्य शर्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित की जावेगी। उन शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

न्यायालय कलेक्टर जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

कलेक्टर
गरियाबंद (छ0ग0)

//02//

पृ0 क्रमांक/ 5084 /कले./वाचक/2021 गरियाबंद, दिनांक 30.01.2021

प्रतिलिपिः–

01/– सचिव, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी, स्टेट डेटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन रायपुर, 492001 छत्तीसगढ की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02/– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03/– मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

04/– वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05/– उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद की ओर सूचनार्थ व अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

06/– प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

कलेक्टर
गरियाबंद (छ0ग0)

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Gariaband

****

No. 509 /Reeder/2021 Gariaband, Date 30/01/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF,s letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear Project, it is certified that **7.683 hectares** of Forest land proposed to be diverted in favour of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.** for **laying Optical Fiber Cable in Bharat Net Project** in **Udanti Sitanadi Tiger Reserve** falls within Jurisdiction of **Gariaband** District i.e. **Mainpur** Block.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.683** hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it. **(Not Applicable)**

(c) The proposal does not involve rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. AS the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only allowing Chhattisgarh Infotech promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber for Bharat Net project phase-II (A Part of Digital India).

न्यायालय कलेक्टर जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

(NileshKumar Kshirsagar)
Collector
District, Gariaband
(Chhattisgarh)

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Dhamtari

No: 4866

Date: 04/03/2020

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that **1.906 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.** (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in **Sitanadi Udanti Tiger Reserve** falls within jurisdiction of **Dhamtari** District i.e **Nagri** Block.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **1.906 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**

(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).

3/3/20

Collector
District-Dhamtari
(Chhattisgarh)

अनापत्ति पत्र

क्र./41/आ.वि/धमतरी दिनांक 23/04/20

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत बिलासपुर धमतरी जिला क्षेत्र के नगरी ब्लॉक के अन्तर्गत उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्रान्तर्गत शामिल धमतरी जिले के ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि **1.906** हे. राजस्व वनभूमि (छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल)– निरंक उल्लेखित किया गया है। यदि वन विभाग द्वारा उक्त मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे में भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है एवं संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नही किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों का पालन संबंधित कार्य एजेन्सी करें :-

(1) निर्धारित व्यपवर्तित स्थल पर ही खुदाई की जावे।

(2) खुदाई किये गये स्थलों को नियमानुसार समतल भी कर लिया जावे।

कलेक्टर,
जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
क्र. ....
दि. ....
जि. धमतरी (छ.ग.)